ACQUISTION OF INDIAN CITIZENSHIP

A. Indian Citizenship can be acquired under following provisions of the Citizenship Act, 1955

a) Citizenship by Birth - Section 3
b) Citizenship by Descent - Section 4
c) Citizenship by Registration - Section 5.
d) Citizenship by Naturalization - Section 6
e) Citizenship by incorporation of territory -Section 7

B. The procedure for acquisition, termination and determination of Indian Citizenship is provided in the Citizenship Act, 1955 and Citizenship Rules 2009.

C. Important steps for grant of Indian Citizenship by registration under Section 5 and naturalization under Section 6 of The Citizenship Act, 1955

Following are the important steps in acquiring Indian Citizenship under Section 5 or Section 6 of the Citizenship Act, 1955 :-

(i) A foreign national fills online application for Indian Citizenship in the prescribed Form on the MHA website https://indiancitizenshiponline.nic.in/ , uploads all supporting documents and pays the prescribed fees.

(ii) He/she then submits printout of the Application along with supporting documents at the office of District Collector/District Magistrate/Deputy Commissioner (hereinafter mentioned as Collector) of the area where he ordinarily resides. Office of Collector verifies original documents. Individual is administered oath of allegiance by the competent authority and he/she

subscribes the application in presence of Collector or the competent authority.

(iii). For cases where State Govt./Central Government is the competent authority to grant citizenship, the Collector prepares its report required under Rule 12(1) of Citizenship Rules, 2009 and forwards along with the application and other required reports through online mode to Home Department of concerned State Government/ Union Territory. For cases where the Central Govt is the cometent authority to grant citizenship, the State Govt., after examination of the case, forwards the same with recommendation to the Central Govt.

(iv) In case of any deficient information/document, the same is sought form the applicant and/or the sate Govt/district administration.

(v) In case the applicant is found to be complying with the stipulated criteria and there is no adverse security report, the applicant is issued an "Acceptance Letter" by post (in original). Acceptance letter is an in-principal acceptance of the citizenship request of the applicant by the competent authority subject to his/her depositing the prescribed fee, submitting the specified documents including a certificate of renunciation of his foreign citizenship (or an affidavit in-lieu of, wherever permited). If the applicant is not found to be meeting the eligibility/security criteria, a self contained rejection letter is issue to him and his application is closed.

(vi) On receiving the documents specified in the Acceptance Letter, the case is examined regarding issuing of the Citizenship Certificate. If the requisite documents are found in order and satisfactory, the granting of Citizenship is approved by the competent authority. The Citizenship Certificate is printed from the online system and original certificate is forwarded to the concerned authority for handing over to the applicant.

******

भारतीय नागरिकता की प्राप्ति

क. भारतीय नागरिकता,नागरिकता अ धनियम,1955 के निम्न ल खत प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है

क) जन्म से नागरिकता - धारा 3

ख) वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता - धारा 4

ग) पंजीकरण द्वारा नागरिकता - धारा 5

घ) देशीकरण द्वारा नागरिकता - धारा 6

ड.) भू-भाग के समावेशन द्वारा नागरिकता -धारा 7

ख. भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति और निर्धारण की प्र क्रया नागरिकता अ धनियम, 1955 तथा नागरिकता नियमावली, 2009 में दी गई है।

ग. नागरिकता अ धनियम, 1955 की धारा 5 के अंतर्गत पंजीकरण तथा धारा 6 के अंतर्गत देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान कए जाने के मुख्य चरण।

नागरिकता अ धनियम,1955 की धारा 5 अथवा धारा 6 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के मुख्य चरण निम्न ल खत हैं :-

(i) वदेशी नागरिक गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://indiancitizenshiponline.nic.in/ पर भारतीय नागरिकता के लए निर्धारित फॉर्म में ऑनलाइन आवेदन भरें संब धत दस्तावेजों को अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

(ii) इसके बाद,आवेदक को सहायक दस्तावेजों सहित आवेदन का प्रंट आउट उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त (इसमें इसके बाद जिला कलेक्टर कहा गया है) के कार्यालय में जमा करना होता है जहां पर आवेदक सामान्यत: निवास करता है। कलेक्टर कार्यालय मूल दस्तावेजों की जांच करता है। सक्षम प्रा धकारी द्वारा व्यक्ति को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है और वह कलेक्टर अथवा सक्षम प्रा धकारी की उपस्थिति में आवेदन पर हस्ताक्षर करता/करती है।

(iii) उन मामलों में जिनमें राज्य सरकार/केन्द्र सरकार नागरिकता प्रदान करने के लए सक्षम प्रा धकारी है,कलेक्टर द्वारा नागरिकता नियमावली, 2009 के नियम 12(1) के अंतर्गत आवश्यक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन तथा अन्य आवश्यक रिपोर्टों सहित संबं धत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के गृह वभाग को अग्रे षत कया जाता है। उन मामलों में जिनमें नागरिकता प्रदान करने के लए केन्द्र सरकार सक्षम प्रा धकारी है,उनमें राज्य सरकार, मामले की जांच के बाद की सफारिश के साथ उसे अग्रे षत कर देती है।

(iv) अपूर्ण जानकारी/दस्तावेज होने पर आवेदक और/अथवा राज्य सरकार/जिला प्रशासन से अपे क्षत जानकारी मांगी जाती है।

(v) यदि आवेदक निर्धारित मानदंड का अनुपालन करता है और कोई प्रतिकूल सुरक्षा रिपोर्ट नहीं है, तो आवेदक को डाक द्वारा "स्वीकृति पत्र" (मूल रूप में) जारी कया जाता है। स्वीकृति पत्र सक्षम प्रा धकारी द्वारा आवेदक की नागरिकता के अनुरोध की सैद्धांतिक मंजूरी है जो आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करने, निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने जिसमें उसकी वदेशी नागरिकता के त्याग का प्रमाण-पत्र (अथवा उसके बदले में शपथ-पत्र, जहां कही भी अनुमति हो) शा मल है, के अधीन है। यदि आवेदक पात्रता/सुरक्षा मानदंड पूरा नहीं कर पाता है तो उसे एक स्वत:पूर्ण अस्वीकृति पत्र जारी कया जाएगा और उसका आवेदन निरस्त हो जाएगा।

(vi) स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात, नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में मामले की जांच की जाती है। यदि अपे क्षत दस्तावेज क्रमबद्ध तथा संतोषजनक पाए जाते हैं तो, सक्षम प्रा धकारी नागरिकता प्रदान करने का अनुमोदन कर देता है। नागरिकता प्रमाण-पत्र ऑनलाइन प्रणाली से प्रंट कया जाता है और मूल प्रमाण-पत्र आवेदक तक पहुंचाने के लए उसे संबं धत प्रा धकारी को अग्रे षत कर दिया जाता है।

******